न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–स0मा0

मु.नं. :120 / 2024	तारीख रजू 20.12.2025	निर्णय दिनांक 29.01.2025

सरकार बनाम सांकरी

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगापुर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि श्रीमती सांकरी पत्नि अब्दुल राहीद जाति मुसलमान निवासी हाल अबुकर मस्जिद के पास, गंगापुर सिटी ने ग्राम गंगापुर के खसरा नं. 103 में रकबा 30 वाई 40 वर्गफीट किस्म मंदिर माफी पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से पक्की दासाबन्दी कर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा उपस्थित होकर जबाव इस आशय पेश किया कि प्रार्थी द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा मंदिर माफी पर कोई अतिचार नहीं करना अवगत कराया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा पक्की दासाबन्दी कर अवैध अतिचार किया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभय पक्ष को सुना गया। गैरसायलान का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायलान को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1/– की 50 गुना शास्ति 50/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....
पर रुपये 50/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार